न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सि
आ

प्रकरण संख्या 312/2022

आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड, सैकिण्ड फ्लोर, मनउपासना प्लाजा, सरदार पटेल म
स्कीम, एच0एस0बी0सी0 बैंक के सामने, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी श्री अक्षय खण्डेलवा
—— प्रा

बनाम

1. मंगतूराम जुगल किशोर पुत्र जुगल किशोर, प्रथम पता– पट्टा नम्बर 71, वार्ड
तहसील के पीछे, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं–333026
द्वितीय पता– वार्ड नं0 23, बिहाइण्ड अडूकिया स्कूल, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. संतोष जुगल पत्नि जुगल किशोर, प्रथम पता– पट्टा नम्बर 71, वार्ड नं0 23, तह
पीछे, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं–333026
द्वितीय पता– वार्ड नं0 23, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अप्रा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभू
प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋणी की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को
करने के संबंध मे।

——

उपस्थितः–
1. एडवोकट श्री कंचनसिंह चौधरी– प्रार्थी बैंक की ओर से
2. श्री फूलचन्द सैनी, एडवोकेट–अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 2 की ओर से बावजू
तामिल अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 22

प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी को प्रार्थी [illegible] जरिये निम्न ऋण अनुब
45347655 के तहत सम्पत्ति बंधक रख ऋण प्रदान किया गया था। इसलिए प्रार्थी बैंक
बाबत सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही करने [illegible] है। प्रार्थी बैंक के यहां ऋणी
ने ऋण हेतु आवेदन किया था जिस [illegible] अप्रार्थी द्वारा अपनी
नम्बर 71, वार्ड नं0 23, तहसील के पीछे, चिडावा, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल
बंधक रख निम्न वर्णित ऋण खातें

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.22 17:25:01 IST
Reason: SelfAttested

Sr. No.	Loan A/c No.	Agreement Date	Sanction Amount	NPA Da
1	45347655	28.06.2021	4,00,000	02.03.2

के तहत ऋण अनुबन्ध की शर्तो के तहत ऋण सुविधा प्राप्त की गई थी जिसे अप्रार्थीग
द्वारा मासिक किश्तों मे प्रार्थी बैंक को वापस अदा करना था। प्रार्थी बैंक ने ऋणी
मालिकाना हक की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 71, वार्ड नं0 23, तहसील के पीछे, तहसील चि

सिक्योरिटी पेटे बंधक रखे गये थे। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण राशि को ऋण की शर्तो के अनुरूप तय मासिक किश्तों का भुगतान नही किया अर्थात नियमित मासिक व्यतिक्रम किया। इस कारण ऋणी का ऋण खाता अक्रियान्वित आस्ति की श्रेणी मे (वर्गीकृत हो गया। ऋणी के ऋण खाते अक्रियान्विति आस्ति (NPA) की श्रेणी मे दिनांक 2022 को वर्गीगृत होने के कारण प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत द्वारा ऋणियों को दिनांक 20.04.2022 का लिखा नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 23 को भिजवाया गया तथा धारा 13 (2) के नोटिस का हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के समाचा दिनांक 02.05.2022 को प्रकाशन किया गया। जिसके तहत ऋणियों को नोटिस प्राप्ति के के अन्दर ऋण की बकाया राशि 4,36,724.42/– (अक्षरे चार लाख छत्तीस हजार सात रूपये बियालीस पैसे) मय आगामी ब्याज प्रार्थी बैंक को अदा करने हेतु सूचित किया गया अप्रार्थीगण/ऋणियों ने उपरोक्त नोटिस अन्तर्गत धारा 13 (2) की विधिवत् सूचना प्राप्त के पश्चात् ना तो किसी प्रकार की राशि का भुगतान किया गया एवं ना ही नोटिस का क ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक को भिजवाया गया तथा किसी प्रकार की कोई उज्रदारी प्रार्थी बैंक संदर्भ मे ऋणियों से प्राप्त नही हुई। प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण से उक्त राशि मय आगामी ब्य प्राप्त करने का अधिकारी है जिसकी वसूली हेतु प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण ऋणियों की बंधक सम्पत्ति पट्टा नम्बर 71, वार्ड नं0 23, तहसील के पीछे, चिडावा, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफ वर्गगज का भौतिक कब्जा प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी है जिनको निलाम कर ऋण राशि की वसूली कर सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से निवे माननीय न्यायानय प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति सम्पत्ति प 71, वार्ड नं0 23, तहसील के पीछे, चिडावा, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 76.83 वर्गगज जि सीमाओं मे पूर्व मे सोहनलाल, पश्चिम मे कॉमन रास्ता, उत्तर मे पार्ट–ए, मंजू देवी एण्ड सैनी व दक्षिण मे सोहनलाल स्थित है जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक है जो कानूनी रूप को कुर्क करवाने व बचान करने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को भौतिक रू करने हेतु प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस सहायता दिलवाने पारित करने की कृपा करे। अन्य कोई आदेश जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थी बै मे पारित किया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाया [illegible] अतः प्रार्थी का प्रार्थ कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक [illegible] को दिलवाया जावे जिससे के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.22 17:25:01 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 2 [illegible] तो स्वयं उपस्थित और न अधिवक्ता उपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

हमने प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लि अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी कि पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड की ऋण राशि

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने
भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमि
अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी कि
पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड की ऋण राशि व
नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी
आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को
विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी आई0डी
फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाई
रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट
धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी सं
देवी के मालिकाना हक की अचल संपत्ति पट्टा नम्बर 71, वार्ड नं0 23, तहसील के पीछ
जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 76.83 वर्गगज जिसकी चारों सीमाओं मे पूर्व मे सोहनलाल,
कॉमन रास्ता, उत्तर मे पार्ट–ए, मंजू देवी एण्ड भंवरसिंह सैनी व दक्षिण मे सोहनलाल स्थि
निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0 फर्स्ट बैंक लिमिटेड को जरिये संबं
थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जि
अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी आई0डी0एफ0सी0
लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कर

आदेश आज दिनांक 22.03.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(एल0एस
जिला कल
जिला मजिस

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.22 17:25:01 IST
Reason: SelfAttested